22/8/21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष
अधिवक्ता हाजिर। अभिभाषक
वादी द्वारा जाहिर किया कि
वादी स्वयं अपना वाद आगे
नहीं चला कर जमा वाद
मान्य चाहता है। वादी द्वारा
पूर्व में भी 023(1)
प्रा० घ० पेश किया गया जो
रेकार्ड पर है। इस प्रकार से
उभयपक्ष द्वारा किसी प्रकार से
कोई उत्तराज्य नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी
का वाद इस स्थिति में विड्रा
किया जाता है कि अधिवक्ता वादी
भविष्य में इन्हें अपराधिक
अवैध में नया वाद लाने हेतु
स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली की आगामी
इन्द्राज की जाकर वाद आवश्यक कार्य
वाही अभिलेखागार किया जावे। आदेश
मूल न्यायालय को घोषित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
राशमी

Scanned by CamScanner